

डिक्री ब मुकदमें इबतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appellix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.

अनवान :-
वादीगण -

1.हरगण 2.आदूराम 3.दानाराम पि.मेवा 4.भीया 5.उतमा
6. चौथा पि.बचीया 7.खेतू पत्नि बचीया 8.शंकर 9.शेम्भू पि.चान्दा
10.कैकू पत्नि चान्दा, जातियान मेघवाल
निवासी मंगलासर, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण -

1.करसन 2.कुष्टा 3.सवाई 4.तारा पि.डाया 5.प्रभूराम पुत्र गंगाराम
6.रहीमों पत्नि गंगाराम 7.धाई पत्नि भीमाराम 8.अकली पत्नि डायाराम
9.तीजों पत्नि हरगणराम, जातियान मेघवाल, निवासी मंगलासर, तहसील चौहटन
10.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.,कोनरा
11.तहसीलदार चौहटन

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 40 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री शाकर खान समेजा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री ठाकराराम एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा मंगलासर, पटवार क्षेत्र कोनरा में खसरा सं. 106 रकबा 75.14 बीघा (12.2530 हैक्टेयर) का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरो की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसमत्त सेरे वस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.08.2022 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहदा सहायक कलक्टर

मुदई	रूपया	पै.	मुहायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	(SDO) चौहटन
	मीजान		मीजान	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	हरगण, आदूराम, दानाराम पि. मेवा, भीया, उत्तमा, चौथा पि. बचीया, खेतू पत्नि बचीया, शंकर, शेम्भू पि.चान्दा, केंकू पत्नि चान्दा, कौम मेगवाल, सा.देह खातेदार मंगलासर हरगण, उत्तमा का हिस्सा RMGB कोनरा	मंगलासर	106	06.1270	बा.सो.	01.17	लाल
		योग	1	06.1270	बा.सो.	01.17	लाल
2	तीजो पत्नि हरगण, कौम मेगवाल, सा.देह खातेदार	मंगलासर	106	00.3237	बा.सो.	0.06	हरा
		योग	1	00.3237	बा.सो.	0.06	हरा
3	करसन, कुष्टा, सवाई, तारा पि. डाया, प्रभुराम पुत्र गंगाराम, रहीमों पत्नि गंगाराम, धाई पत्नि भीमाराम, अकली पत्नि डायाराम, कौम मेगवाल, सा.देह खातेदार	मंगलासर	106	05.8032	बा.सो.	01.10	पीला
		योग	1	05.8032	बा.सो.	01.10	पीला

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना बहन करेंगे।



(भागीरथ राम II)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सोपटना
चौहटन
(SBO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 40/2021

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण -

1.हरगण 2.आदूराम 3.दानाराम पि.मेवा 4.भीया 5.उत्तमा
6. चौथा पि.बचीया 7.खेतू पत्नि बचीया 8.शंकर 9.शेम्भू पि.चान्दा
10.केंकू पत्नि चान्दा, जातियान मेघवाल
निवासी मंगलासर, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण -

1.करसन 2.कुष्टा 3.सवाई 4.तारा पि.डाया 5.प्रभूराम पुत्र गंगाराम
6.रहीमों पत्नि गंगाराम 7.धाई पत्नि भीमाराम 8.अकली पत्नि डायाराम
9.तीजों पत्नि हरगणराम, जातियान मेघवाल, निवासी मंगलासर, तहसील चौहटन
10.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.,कोनरा
11.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण -

वादीगण वकील -

श्री शाकर खान समेजा

प्रतिवादीगण वकील -

श्री ठाकराराम (प्रतिवादी सं. 09)



निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.

दिनांक :- 03.08.2022

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 09 के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उपस्थित अधिवक्ताओं ने तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। उसी अनुसार निर्णय किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा मौजा मंगलासर, पटवार क्षेत्र कोनरा में खसरा सं. 106 रकबा 75.14 बीघा (12.2539 हैक्टेयर) के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

सहायक कलक्टर
(1800) चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	हरगण, आदूराम, दानाराम पि. मेवा, भीया, उत्तमा, चौथा पि. बचीया, खेतू पत्नि बचीया, शंकर, शेम्भू पि.चान्दा, केंकू पत्नि चान्दा, कौम मेगवाल, सा.देह खातेदार मंगलासर हरगण, उत्तमा का हिस्सा RMGB कोनरा	मंगलासर	106	06.1270	बा.सो.	01.17	लाल
		योग	1	06.1270	बा.सो.	01.17	लाल
2	तीजो पत्नि हरगण, कौम मेगवाल, सा.देह खातेदार	मंगलासर	106	00.3237	बा.सो.	0.06	हरा
		योग	1	00.3237	बा.सो.	0.06	हरा
3	करसन, कुष्टा, सवाई, तारा पि. डाय्या, प्रभूराम पुत्र गंगाराम, रहीमों पत्नि गंगाराम, धाई पत्नि भीमाराम, अकली पत्नि डाय्याराम, कौम मेगवाल, सा.देह खातेदार	मंगलासर	106	05.8032	बा.सो.	01.10	पीला
		योग	1	05.8032	बा.सो.	01.10	पीला



उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भाभीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन कलक्टर
(300) चौहटन